प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला– ओ.पी. ए.सी.बी नागौर, थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर। वर्ष–2023 प्र0इ0रि0 सं. 64/23 दिनांक.. 21/3/2023

2. (I) अधिनियम :– धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018
   (II) अधिनियम .... धारायें ....
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....379 समय ...1:00 P.M.........
   (ब) अपराध घटने का दिन – सोमवार, दिनांक 20.03.2023 समय 10.15 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...06.03.2023...समय...... 12.43 पी.एम......

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– पटवार घर, बड़ी खाटू, तहसील जायल, जिला नागौर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बजानिब पूर्व करीब 70 कि.मी.
   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं...
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. (i) परिवादी :–
   (अ) नाम – डॉ0 अभिषेक बाबु
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री झुमरमल शर्मा
   (स) जन्म तिथी– उम्र – 32 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय – राजकीय चिकित्सक
   (ल) पता – रेलवे स्टेशन के पास, छोटी खाटू, जिला नागौर हाल चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, छोटी खाटू, तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
   1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम जाति मेघवाल उम्र 34 वर्ष, निवासी उबासी, पुलिस थाना बड़ी खाटू, तहसील जायल जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल, खाटू कलां (बड़ी खाटू) तहसील जायल, जिला नागौर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
   ....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य – 2,25,000/– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

सेवामें,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने बाबत्।

महोदय जी,

नम्र निवेदन है कि मैं अभिषेक शर्मा निवासी छोटी खाटू जिला नागौर का इस प्रकार है कि मेरे छोटे भाई श्री अंशुम शर्मा के नाम एक भूखण्ड बड़ी खाटू में कय किया हुआ है। उक्त भूखण्ड के म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने हेतु मैं पटवारी श्री ओमप्रकाश जी से मिला तो उन्होंने म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने के एवज में मेरे से पहले तो 2.50 लाख रूपये की रिश्वत मांग की। मैं फिर दुबारा मिला तो 2.30 लाख रूपये की मांग कर रहे है। मैं अपने जायज

काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई उधार लेन–देन है। उचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।

एसडी अभिषेक
10.03.2023
मो.नं. 9413188375

कार्यवाही पुलिस

निवेदन है कि दिनांक 06.03.2023 को वक्त 12.43 पी.एम. पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो, अजमेर रेंज, अजमेर ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरीये वाट्सएप ब्यूरो मुख्यालय का मैसेज फोरवर्ड कर मोबाईल पर निर्देशित किया कि मोबाईल नम्बर 9413188375 से परिवादी ने ब्यूरो मुख्यालय के वाट्सएप नम्बर पर मैसेज कर शिकायत दी है कि खाटू बड़ी का पटवारी म्यूटेशन भरने की एवज में 2.5 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, अतः आप परिवादी से उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मोबाईल नम्बर 9413188375 पर परिवादी से सम्पर्क कर परिचय किया गया तो परिवादी ने बताया कि मैं डॉ0 अभिषेक,छोटी खाटू का रहने वाला हूं। हमारे प्लॉट का म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने की एवज में बड़ी खाटू का पटवारी ओमजी मेरे से 2.50 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं उक्त भ्रष्ट पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। जिस पर परिवादी को एसीबी की कार्यप्रणाली समझाकर अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन देकर हिदायत मुनासिब कर मिलने बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं होली के बाद आपसे सम्पर्क कर लूंगा। दिनांक 08.03.2023 को परिवादी डॉ0 अभिषेक से जरीये मोबाईल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी व्यस्त हूं, फ्री होने पर आपसे सम्पर्क कर लूंगा। ताबाद दिनांक 09.03.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी डॉ0 अभिषेक से पुनः मोबाईल पर सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवाने बाबत् पूछा तो परिवादी ने बताया कि कल आप अपने स्टाफ को भेज देना मैं पटवारी से मिलकर वार्ता कर लूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को निर्देशित किया कि मैं कल कानि0 नेमीचन्द 305 को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर भेज रही हूं आप पटवारी से मिलकर अपने कार्य के संबंध में वार्ता करना तथा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात दिनांक 10.03.2023 को श्री नेमीचन्द कानि0 नं0 405 को मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के परिवादी के मोबाईल नम्बरों व पते से अवगत करवाया जाकर परिवादी से सम्पर्क कर लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर बड़ी खाटू की ओर रवाना किया गया। सायं 09.15 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि0 फिगरा उपरोक्त का गया हुआ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर हालात अर्ज किये कि मैं कार्यालय से रवाना होकर बड़ी खाटू पहूंच परिवादी डॉ0 अभिषेक से मिला तथा निर्देशानुसार परिवादी से लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया। ताबाद परिवादी ने पटवारी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो पटवारी ने कार्यालय में हाजिर नहीं होने से मांग सत्यापन वार्ता नहीं हो सकी। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि मैं अभिषेक शर्मा निवासी छोटी खाटू जिला नागौर का निवेदन इस प्रकार है कि मेरे छोटे भाई श्री अंशुम शर्मा के नाम एक भूखण्ड बड़ी खाटू में कय किया हुआ है। उक्त भूखण्ड के म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने हेतु मैं पटवारी श्री ओमप्रकाश जी से मिला तो उन्होंने म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने के एवज में मेरे से पहले तो 02.50 लाख रूपये की रिश्वत मांग की। मैं फिर दूबारा मिला तो 02.30 लाख रूपये की मांग कर रहा है। मैं अपने जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई उधार लेन–देन है। उचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाता है, शीघ्र ही रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 16.03.2023 को श्री नेमीचन्द कानि0 को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु बड़ी खाटू की ओर रवाना किया गया। समय 11.35 ए.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरीये मोबाईल फोन बताया कि परिवादी की संबंधित आरोपी पटवारी से बात हो गई है जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है तथा परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक से बात करवाई तो परिवादी बताया कि आरोपी ओमजी पटवारी से मेरे कार्य के संबंध में बातचीत

हो गई है तथा हमारे प्लॉट का म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने की एवज में दो लाख तीस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर दो लाख पच्चीस हजार रूपये रिश्वत राशि देना तय हुआ है तथा आरोपी पटवारी ने 20 तारीख से पूर्व रूपये देने का कहा है। जिस पर परिवादी को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था कर चौकी नागौर आने की हिदायत दी गई तो परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कल सुबह बैंक से कर लूंगा तथा मैं दिव्यांग होने व दूरी अधिक होने से नागौर आने में असमर्थ हूं। जिस पर परिवादी को पैसों की व्यवस्था कर अवगत करवाने के निर्देश दिये गये। ताबाद श्री नेमीचन्द कानि0 उपस्थित चौकी आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर परिवादी द्वारा मोबाईल पर मन् पुलिस निरीक्षक को बताये गये कथनों की ताईद की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर पीसी एक्ट की परिधि में आना पाया गया। आईन्दा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 17.03.2023 को उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रयोजनार्थ परिवादी से जरीये मोबाईल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि आज मेरे कोई निजी कार्य होने से मैं कार्यवाही हेतु उपस्थित नहीं हो सकता हूं। मैंने रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर ली है, परिवादी ने बताया कि मैं दिव्यांग होने से आपसे घर पर ही मिल सकता हूं। सोमवार सुबह आप अपनी टीम के साथ छोटी खाटू आ जाना, मैं आपको मेरे घर पर मिल जाउंगा। जिस पर परिवादी को सोमवार सुबह 08.00 ए.एम. पर स्वयं के निजी आवास पर मिलने के निर्देश दिये गये तथा समस्त चौकी स्टाफ को सोमवार को सुबह 06.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् पाबंद किया गया। दिनांक 19.03.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक ने गवाहान तलबी हेतु तारीख इमरोजा का राजपत्रित अवकाश होने से सम्बन्धित कार्यालय बन्द होने व प्रातः जल्दी गवाहान की आवश्यकता होने के कारण श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर से जरीये मोबाईल सम्पर्क कर ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दिनांक 20.03.2023 को प्रातः 06.30 ए.एम. पर भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर दो स्वतंत्र गवाह भिजवाने बाबत् निवेदन किया, जिस पर अधीक्षण अभियंता ने समय पर गवाह भिजवाने बाबत् सहमति प्रदान की। जिस पर दिनांक 20.03.2023 को पूर्व से पाबंद सुदा कार्यालय हाजा का स्टाफ एवं श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर द्वारा पाबंद सुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री मांगीलाल पुत्र श्री श्रवण राम, जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, निवासी रायधनु, तहसील व जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड खींवसर, जिला नागौर व श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बालचन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 52 वर्ष, निवासी दिवार गली, नागौर हाल हेल्पर II, कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य--मुख्य अंश सुनाये गये, जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। ताबाद वक्त 07.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल व श्री जितेन्द्र मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री नेमीचन्द कानि0 405, कुमेरदान कानि0 194, बालाराम कानि0 554, कानाराम कानि0 532, राजेन्द्र झूरिया कानि0 150, प्रेमाराम कानि0 218, श्रीमती संगीता म0कानि0 332 व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक जरीये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. 355 व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु छोटी खाटू को रवाना होकर वक्त 09.00 ए.एम. पर कस्बा छोटी खाटू में परिवादी डॉ0 अभिषेक बाबु के निजी आवास पर पहुंची। जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी अपने घर पर उपस्थित मिले। परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर घर के अन्दर परिवादी के निजी कमरे में पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। समय 09.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी डॉ0 अभिषेक को रिश्वत में दी जानें वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपनी आलमारी में से 500--500 रूपये की चार नई सील्ड गड्डियां व 50 पुराने नोट कुल 450 नोट कुल राशि 2,25,000/-- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर पेश किये। जिनका विवरण इस प्रकार है :--

क्र.सं.	नोट नम्बर	क्र.सं.	नोट नम्बर	क्र.सं.	नोट नम्बर
1	9LK 739601	2	9LK 739602	3	9LK 739603
4	9LK 739604	5	9LK 739605	6	9LK 739606
7	9LK 739607	8	9LK 739608	9	9LK 739609
10	9LK 739610	11	9LK 739611	12	9LK 739612
13	9LK 739613	14	9LK 739614	15	9LK 739615

16	9LK 739616	17	9LK 739617	18	9LK 739618
19	9LK 739619	20	9LK 739620	21	9LK 739621
22	9LK 739622	23	9LK 739623	24	9LK 739624
25	9LK 739625	26	9LK 739626	27	9LK 739627
28	9LK 739628	29	9LK 739629	30	9LK 739630
31	9LK 739631	32	9LK 739632	33	9LK 739633
34	9LK 739634	35	9LK 739635	36	9LK 739636
37	9LK 739637	38	9LK 739638	39	9LK 739639
40	9LK 739640	41	9LK 739641	42	9LK 739642
43	9LK 739643	44	9LK 739644	45	9LK 739645
46	9LK 739646	47	9LK 739647	48	9LK 739648
49	9LK 739649	50	9LK 739650	51	9LK 739651
52	9LK 739652	53	9LK 739653	54	9LK 739654
55	9LK 739655	56	9LK 739656	57	9LK 739657
58	9LK 739658	59	9LK 739659	60	9LK 739660
61	9LK 739661	62	9LK 739662	63	9LK 739663
64	9LK 739664	65	9LK 739665	66	9LK 739666
67	9LK 739667	68	9LK 739668	69	9LK 739669
70	9LK 739670	71	9LK 739671	72	9LK 739672
73	9LK 739673	74	9LK 739674	75	9LK 739675
76	9LK 739676	77	9LK 739677	78	9LK 739678
79	9LK 739679	80	9LK 739680	81	9LK 739681
82	9LK 739682	83	9LK 739683	84	9LK 739684
85	9LK 739685	86	9LK 739686	87	9LK 739687
88	9LK 739688	89	9LK 739689	90	9LK 739690
91	9LK 739691	92	9LK 739692	93	9LK 739693
94	9LK 739694	95	9LK 739695	96	9LK 739696
97	9LK 739697	98	9LK 739698	99	9LK 739699
100	9LK 739700	101	9LK 739701	102	9LK 739702
103	9LK 739703	104	9LK 739704	105	9LK 739705
106	9LK 739706	107	9LK 739707	108	9LK 739708
109	9LK 739709	110	9LK 739710	111	9LK 739711
112	9LK 739712	113	9LK 739713	114	9LK 739714
115	9LK 739715	116	9LK 739716	117	9LK 739717
118	9LK 739718	119	9LK 739719	120	9LK 739720
121	9LK 739721	122	9LK 739722	123	9LK 739723
124	9LK 739724	125	9LK 739725	126	9LK 739726
127	9LK 739727	128	9LK 739728	129	9LK 739729
130	9LK 739730	131	9LK 739731	132	9LK 739732
133	9LK 739733	134	9LK 739734	135	9LK 739735
136	9LK 739736	137	9LK 739737	138	9LK 739738
139	9LK 739739	140	9LK 739740	141	9LK 739741
142	9LK 739742	143	9LK 739743	144	9LK 739744
145	9LK 739745	146	9LK 739746	147	9LK 739747
148	9LK 739748	149	9LK 739749	150	9LK 739750
151	9LK 739751	152	9LK 739752	153	9LK 739753
154	9LK 739754	155	9LK 739755	156	9LK 739756
157	9LK 739757	158	9LK 739758	159	9LK 739759
160	9LK 739760	161	9LK 739761	162	9LK 739762
163	9LK 739763	164	9LK 739764	165	9LK 739765
166	9LK 739766	167	9LK 739767	168	9LK 739768

169	9LK 739769	170	9LK 739770	171	9LK 739771
172	9LK 739772	173	9LK 739773	174	9LK 739774
175	9LK 739775	176	9LK 739776	177	9LK 739777
178	9LK 739778	179	9LK 739779	180	9LK 739780
181	9LK 739781	182	9LK 739782	183	9LK 739783
184	9LK 739784	185	9LK 739785	186	9LK 739786
187	9LK 739787	188	9LK 739788	189	9LK 739789
190	9LK 739790	191	9LK 739791	192	9LK 739792
193	9LK 739793	194	9LK 739794	195	9LK 739795
196	9LK 739796	197	9LK 739797	198	9LK 739798
199	9LK 739799	200	9LK 739800	201	9LK 739801
202	9LK 739802	203	9LK 739803	204	9LK 739804
205	9LK 739805	206	9LK 739806	207	9LK 739807
208	9LK 739808	209	9LK 739809	210	9LK 739810
211	9LK 739811	212	9LK 739812	213	9LK 739813
214	9LK 739814	215	9LK 739815	216	9LK 739816
217	9LK 739817	218	9LK 739818	219	9LK 739819
220	9LK 739820	221	9LK 739821	222	9LK 739822
223	9LK 739823	224	9LK 739824	225	9LK 739825
226	9LK 739826	227	9LK 739827	228	9LK 739828
229	9LK 739829	230	9LK 739830	231	9LK 739831
232	9LK 739832	233	9LK 739833	234	9LK 739834
235	9LK 739835	236	9LK 739836	237	9LK 739837
238	9LK 739838	239	9LK 739839	240	9LK 739840
241	9LK 739841	242	9LK 739842	243	9LK 739843
244	9LK 739844	245	9LK 739845	246	9LK 739846
247	9LK 739847	248	9LK 739848	249	9LK 739849
250	9LK 739850	251	9LK 739851	252	9LK 739852
253	9LK 739853	254	9LK 739854	255	9LK 739855
256	9LK 739856	257	9LK 739857	258	9LK 739858
259	9LK 739859	260	9LK 739860	261	9LK 739861
262	9LK 739862	263	9LK 739863	264	9LK 739864
265	9LK 739865	266	9LK 739866	267	9LK 739867
268	9LK 739868	269	9LK 739869	270	9LK 739870
271	9LK 739871	272	9LK 739872	273	9LK 739873
274	9LK 739874	275	9LK 739875	276	9LK 739876
277	9LK 739877	278	9LK 739878	279	9LK 739879
280	9LK 739880	281	9LK 739881	282	9LK 739882
283	9LK 739883	284	9LK 739884	285	9LK 739885
286	9LK 739886	287	9LK 739887	288	9LK 739888
289	9LK 739889	290	9LK 739890	291	9LK 739891
292	9LK 739892	293	9LK 739893	294	9LK 739894
295	9LK 739895	296	9LK 739896	297	9LK 739897
298	9LK 739898	299	9LK 739899	300	9LK 739900
301	9LK 739901	302	9LK 739902	303	9LK 739903
304	9LK 739904	305	9LK 739905	306	9LK 739906
307	9LK 739907	308	9LK 739908	309	9LK 739909
310	9LK 739910	311	9LK 739911	312	9LK 739912
313	9LK 739913	314	9LK 739914	315	9LK 739915
316	9LK 739916	317	9LK 739917	318	9LK 739918
319	9LK 739919	320	9LK 739920	321	9LK 739921

322	9LK 739922	323	9LK 739923	324	9LK 739924
325	9LK 739925	326	9LK 739926	327	9LK 739927
328	9LK 739928	329	9LK 739929	330	9LK 739930
331	9LK 739931	332	9LK 739932	333	9LK 739933
334	9LK 739934	335	9LK 739935	336	9LK 739936
337	9LK 739937	338	9LK 739938	339	9LK 739939
340	9LK 739940	341	9LK 739941	342	9LK 739942
343	9LK 739943	344	9LK 739944	345	9LK 739945
346	9LK 739946	347	9LK 739947	348	9LK 739948
349	9LK 739949	350	9LK 739950	351	9LK 739951
352	9LK 739952	353	9LK 739953	354	9LK 739954
355	9LK 739955	356	9LK 739956	357	9LK 739957
358	9LK 739958	359	9LK 739959	360	9LK 739960
361	9LK 739961	362	9LK 739962	363	9LK 739963
364	9LK 739964	365	9LK 739965	366	9LK 739966
367	9LK 739967	368	9LK 739968	369	9LK 739969
370	9LK 739970	371	9LK 739971	372	9LK 739972
373	9LK 739973	374	9LK 739974	375	9LK 739975
376	9LK 739976	377	9LK 739977	378	9LK 739978
379	9LK 739979	380	9LK 739980	381	9LK 739981
382	9LK 739982	383	9LK 739983	384	9LK 739984
385	9LK 739985	386	9LK 739986	387	9LK 739987
388	9LK 739988	389	9LK 739989	390	9LK 739990
391	9LK 739991	392	9LK 739992	393	9LK 739993
394	9LK 739994	395	9LK 739995	396	9LK 739996
397	9LK 739997	398	9LK 739998	399	9LK 739999
400	9LK 740000	401	4AW 212556	402	8GL 899418
403	9FD 136812	404	2CT 516860	405	8NH 416097
406	8GV 018502	407	6HF 204539	408	4FW 410642
409	0GR 153787	410	3CK 404785	411	8HK 484755
412	3WQ 871044	413	2AD 014611	414	6FU 671032
415	1DP 293783	416	6GG 704165	417	4RL 530105
418	8BP 189836	419	1LS 907121	420	6BT 160560
421	5EF 368649	422	2UL 895480	423	9LB 886499
424	3HV 707577	425	9KT 562505	426	1BV 945909
427	6ET 376401	428	2LL 941781	429	4PS 762929
430	4LW 804871	431	4HD 947813	432	1MA 859565
433	7CM 254581	434	8KW 908977	435	4CS 106530
436	0FW 346977	437	7RD 980282	438	9QW 072589
439	4FF 214346	440	0MA 720450	441	9GB 310404
442	4AC 314806	443	2AS 270414	444	1UL 623761
445	6KM 108221	446	4FW 410667	447	8AH 624111
448	9VU 344044	449	3FG 433902	450	4WM 290244

तत्पश्चात ट्रेप दल में शामिल श्री कुमेरदान कानि0 196 से सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकालकर परिवादी के कमरे में मंगवाया जाकर उपर्युक्त सभी नोटों को कमरे के फर्श पर अखबार पर रखकर प्रक्रिया अनुसार श्री कुमेरदान कानि0 196 से रिश्वत राशि नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने की प्रक्रिया करवाई जाकर गवाह श्री मांगीलाल से परिवादी की तलाशी लिवाई गई तथा श्री कुमेरदान कानि0 196 से रिश्वत राशी 2,25,000/– रुपये परिवादी के निजी बैग में रखवाये गये तथा गवाहान को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई।

तत्पश्चात् श्री कुमेरदान कानि0 के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा सुरक्षित सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में वापस रखवाया गया तथा परिवादी को डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑपरेट करने की प्रक्रिया समझाकर रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु उसे सुपुर्द किया गया तथा परिवादी को आरोपी श्री ओमप्रकाश पटवारी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर लेने पर ट्रेपदल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर फोन कर ईशारा करने की हिदायत की गई। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई तथा श्री कुमेरदान कानि0 196 को भ्र0नि0ब्यूरो, नागौर रवाना किया गया। ताबाद परिवादी डॉ0 अभिषेक व श्री राजेन्द्र झूरिया कानि0 को परिवादी की निजी कार से आरोपी से मिलकर रिश्वत राशि देने हेतु आगे–आगे रवाना कर उनके पिछे मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप दल के सदस्यों जरीये सरकारी व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा छोटी खाटू से कस्बा बड़ी खाटू को रवाना होकर पटवार घर, बड़ी खाटू के पास पहुंचे, जहां सड़क पर अलग–अलग साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर कानि0 राजेन्द्र झूरिया को मोबाईल पर निर्देशित किया कि डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु पटवार घर, बड़ी खाटू के अन्दर रवाना करे एवं स्वयं की उपस्थिति छिपाते हुए आस–पास रहकर नजर रखें तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए पटवार घर, बड़ी खाटू के आस–पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करनें लगे। वक्त 10.15 ए.एम. पर परिवादी डॉ0 अभिषेक ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास पटवार घर बड़ी खाटू में पहुंची एवं परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर परिवादी डॉ0 अभिषेक नें मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्री ओमप्रकाश पटवारी से पटवार घर, बड़ी खाटू में उनके कार्यालय में मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की एवं श्री ओमप्रकाश पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग का ईशारा करने पर मैंने अपने निजी बैग में से रिश्वत राशि निकालकर श्री ओमप्रकाश पटवारी को दी तो श्री ओमप्रकाश पटवारी ने रुपये अपने दाहिनें हाथ में लेकर देखकर अपनी टेबल की नीचे की दराज में रख लिये। उसके बाद मैंने आपको मोबाईल पर फोन करके रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ के साथ पटवार घर के अन्दर गये तो कमरे में मुख्य टेबल की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही ओमप्रकाश पटवारी है, जिसने मेरे से अभी–अभी 2,25,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है तथा प्राप्त कर अपनी टेबल की नीचे की दराज में रखी है। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम जाति मेघवाल उम्र 34 वर्ष, निवासी उबासी, पुलिस थाना बड़ी खाटू, तहसील जायल जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल, खाटू कलां (बड़ी खाटू) तहसील जायल, जिला नागौर होना बताया। श्री ओमप्रकाश पटवारी को परिवादी डॉ0 अभिषेक से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो ओमप्रकाश पटवारी ने बताया कि मैने डॉ0 अभिषेक से कोई रिश्वत नहीं ली है, जिस पर पुनः मन् पुलिस निरीक्षक ने तसल्ली पूर्वक पूछताछ की तो बताया कि मैंने डॉ0 अभिषेक से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। उसने अपनी मर्जी से 2,25,000/– रूपये मुझे दिये है जो मेरी टेबल की नीचे की दराज में है। श्री ओमप्रकाश पटवारी के उक्त कथन पर परिवादी डॉ0 अभिषेक नें स्वतः ही बताया कि दिनांक 16.03.2023 को मैं ओमप्रकाश पटवारी से पटवार घर बड़ी खाटू में मिला तथा मेरे भाई अंशुम शर्मा के नाम खरीदशुदा भूखण्ड का म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने की एवज में 2,30,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 2,25000/– रूपये देना तय हुआ, जो आज इनके कहेनुसार 2,25,000/– रूपये मैंने अभी–अभी इनको दिये हैं, रिश्वत लेने की ताईद होने पर ओमप्रकाश पटवारी का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से मेरे निर्देश से क्रमशः कानि0 श्री नेमीचन्द व श्री कानाराम से पकड़वाये गये। गवाह श्री मांगीलाल से आरोपी ओमप्रकाश पटवारी की टेबल की नीचे की दराज खुलवाकर तलाशी लिरवाई गयी तो 500–500 रूपये की चार नई सीलड गड्डिया एवं कुछ खुले नोट, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री मांगीलाल से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 450 नोट कुल 2,25,000/– रूपये होना बताया तथा दोनो गवाहों से रिश्वती राशि 2,25,000/– रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। बरामद रिश्वती राशी 2,25,000/– रूपये के नोटो को कागज की चिटो मे अलग–अलग पांच पार्ट में सील बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर

करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलासों में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी ओमप्रकाश पटवारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH–1 व RH–2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी ओमप्रकाश पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH–1 व LH–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में रूई से टेबल की नीचे की दराज को रगड़कर उक्त रूई को घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग अत्यधिक गहरा गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः T–1 व T–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी से परिवादी डॉ0 अभिषेक के भाई अंशुम शर्मा के नाम खरीदशुदा भूखण्ड के म्यूटेशन एवं कन्वर्जन सम्बन्धी कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी ओमप्रकाश पटवारी ने बताया कि उक्त भूखण्ड पूर्व में जिस खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसके द्वारा नामान्तरण दर्ज नहीं करवाकर सीधे रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करवा दी है। पूर्व खातेदार द्वारा नामान्तरण दर्ज करवाने के बाद ही डॉ0 अभिषेक के भाई के नाम म्यूटेशन दर्ज करने की कार्यवाही हो पायेगी, डॉ0 अभिषेक के भाई के भूखण्ड के म्यूटेशन एवं कन्वर्जन सम्बन्धी कागजात की फोटोप्रतियां मेरी टेबल की दराज में रखी है, जो आरोपी द्वारा प्रस्तुत करने पर प्राप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। (नोट – पटवार घर बड़ी खाटू में आमजनो की आवाजाही अधिक होने एवं सामने भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना बड़ी खाटू लेकर पहुंची। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही थाना परिसर में बने हॉल/बैरिक में शुरू की गई।) परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन देन की रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन देन की वार्ता की पुष्टि होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री ओमप्रकाश पटवारी, पटवार मण्डल, खाटू कलां (बड़ी खाटू) तहसील जायल, जिला नागौर द्वारा परिवादी डॉ0 अभिषेक के भाई अंशुम शर्मा के नाम खरीदशुदा भूखण्ड का म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने की एवज में आरोपी ओमप्रकाश पटवारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 2,30,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुशरण में 2,25,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जानें पर आरोपी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम जाति मेघवाल उम्र 34 वर्ष, निवासी उबासी, पुलिस थाना बड़ी खाटू, तहसील जायल जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल, खाटू कलां (बड़ी खाटू) तहसील जायल, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर अभियुक्त श्री ओमप्रकाश पटवारी को उपरोक्त जुर्म से आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुए वक्त 01.15 पी.एम. पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की दो डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई जाकर एक डीवीडी आरोपी के लिए कागज के लिफाफे में बंद व एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए कागज के लिफाफे में बंद कर उक्त दोनो डीवीडी गोपनीयता की दृष्टि से मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखी गई तथा वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की दो डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दोनों डीवीडियां कागज के लिफाफों में बन्द कर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व परिवादी डॉ0 अभिषेक बाबु को अपनी सकूनत के लिए रूखसत किया गया। ताबाद मन् पुलिस मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तार सुदा आरोपी ओमप्रकाश पटवारी मय ट्रेप दल के सदस्य मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर व मय माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना बड़ी खाटू से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन्

पुलिस निरीक्षक द्वारा बरामद रिश्वत राशि 2,25,000/– रुपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2 व T–1, T–2, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड व आरोपी हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की एक–एक डीवीडी मालखाना प्रभारी श्री तुलछाराम हैड कानि. 94 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा आरोपी की जामातलाशी में कब्जा एसीबी लिया गया आरोपी का मोबाईल सुरक्षार्थ मालखाना में रखवाया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय–समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री ओमप्रकाश पटवारी, पटवार मण्डल, खाटू कलां (बड़ी खाटू) तहसील जायल, जिला नागौर द्वारा परिवादी डॉ0 अभिषेक के भाई अंशुम शर्मा के नाम खरीदशुदा भूखण्ड का म्यूटेशन दर्ज करने एवं कन्वर्जन करवाने की एवज में आरोपी ओमप्रकाश पटवारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 2,30,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुशरण में 2,25,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जानें व रिश्वती राशि आरोपी की टेबल की दराज से बरामद होने पर आरोपी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धर्माराम जाति मेघवाल उम्र 34 वर्ष, निवासी उबासी, पुलिस थाना बड़ी खाटू, तहसील जायल जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल, खाटू कलां (बड़ी खाटू) तहसील जायल, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरूद्व उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्व करनें हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीया,

(सुशीला विश्नोई)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
नागौर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दर्ज किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुशीला विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) आरोपी श्री ओमप्रकाश, पटवारी, पटवार मण्डल खाटू कलां (बड़ी खाटू), तहसील जायल, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 64/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 507-10 दिनांक 21.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, जोधपुर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।

21.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।